न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–206 / 2020 — दायर दिनांक: 04.12.2020

GCMS NO:- 2020/00389

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सौभाग आत्मज कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. रामचन्द्र आ0 रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. गिरिराज आ0 रामचन्द्र
3. सीताराम आ0 गिरिराज
4. मूरली आ0 गिरिराज
5. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
6. शाखा प्रबन्धक महोदय, एस0बी0आई0 शाखा देई तहसील नैनवां जिला बून्दी

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 23.03.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम फतेहगंज हल्का जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) का निवासी है और जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 की खाता संख्या नया 215 व खाता संख्या पुराना 173 की खसरा संख्या 253 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में पूर्वजों के समय का सामलाती कुआ लगा हुआ है। उक्त भूमि खसरा संख्या 253 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा का आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है। विभाजन के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2047–2077 की खाता संख्या नई 258 की खसरा संख्या 253 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी के पास पारिवारिक बंटवारे से आई है। जिस पर प्रार्थी की काबिज रहकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है एवं कुवें का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 253 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा जो कि ग्राम फतेहगंज में स्थित है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए ग्राम जरखोदा से फतेहगंज जाने वाली डामर सडक से फटकर अपने सामलाती कुवे पर पहूंचता है। डामर रोड से कुवे पर 16 फीट रास्ता बना हुआ है। जो खसरा नम्बर 1112/253 की दक्षिणी मेड के सहारे होकर कुवे तक स्थित है जो वर्तमान में चालू है जिसका उपयोग उपभोग सभी खातेदारान हिस्सेदारी कर रहे है व वर्तमान में प्रार्थी भी कर रहा है व कुवे के दक्षिणी ओर खसरा संख्या 1102/253 में से होकर अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 253 पर पहूंचता है। जो रास्ता करीब 13 फीट चौडा है। इसी रास्ते में होकर प्रार्थी आता जाता है तथा ट्रेक्टर कृषि उ[illegible] चला आ रहा है। इस रास्ते को परिशिष्ट "अ" में लाला स्याही से दर्शाया [illegible] कि प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि पर जाने पर जाने का एक मात्र रा[illegible] का अभिन्न अंग है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 ने आ[illegible] खेत में मिलाकर पत्थर की पिलर लगाकर लोहे की[illegible] को नक्शा परिशिष्ट 'ए [illegible] द्वारा दर्शाया गया है। इसी कारण प्रार्थी का आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। [illegible] का कारण है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा [illegible]यी लगाई गई तारों की [illegible] पत्थरों के पिलरो को हटवाकर रास्ता बहाल करवाये । प्रार्थी उसे श्रीमान के आदेशानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा परिशिष्ट अ. नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

COURT DECISION 2022

Scanned with CamScanner

अपने जवाब में प्रत्याथीगण 1 लगायत 4 ने निवेदन किया कि खसरा संख्या 253 पूर्व में एक ही खेत था जिसका आपसी सहमति से खातेदारन के मध्य विभाजन हो चुका है प्रार्थी का खेत फतेहगंज से जरखोदा जाने वाली डामर सडक के सहारे है। डमार सडक के सहारे अपना आवासीय मकान बना रखा है तथा आवासीय मकान के सहारे होकर खसरा संख्या 253 में पहुंचन का करीब 20 फीट चौडा रास्ता मौके पर उपलब्ध है जो पूर्व से ही निरन्तर व निर्बाध रूप से चालू है व वर्तमान में भी चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 247 रकबा 03 बिस्वा जो कि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण का शामलाती है जिसमें अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित है जिसमें होकर खसरा संख्या 253 पर पहूंचता है। बंटवारे के समय अप्रार्थीगण ने उक्त संख्या 247 की अपनी हिस्से की भूमि को प्रार्थी को आने जाने के रास्ता को उपयोग उपभोग करने के लिए दिया था। जिसका प्रार्थी उपयोगा उपभोग कर रहा है, प्रार्थी ने पूर्वत अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज होने योग्य है। यह कि मौके पर पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। एवं उक्त चालू रास्ते का प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिनको अब नया रास्ता कायम करवाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हो कर खारिज करने योग्य है।

यह कि मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र के अनुसार फतेहगंज में स्थित शामलाती खातेदारी भूमि खसरा संख्या 253 में आने जाने हेतु रास्ता चाहता है। मुताबिक रिकार्ड खसरा संख्या 1112/253 रकबा 4–12 बीघा पर मोतीशंकर पि0 रामनाथ जाति धाकड सा0 देह खाते रहन बदस्तुर दर्ज है की दक्षिणी मेड की ओर मौके पर गे0मु0 चाह स्थित है। जिस पर आने जाने वाला शामलाती रास्ता वर्तमान में मौके पर बहाल है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि ख0 न0 253 पर आने जाने हेतु मुताबिक रिकार्ड नक्शा में कोई रास्ता दर्ज नहीं है लेकिन मुताबिक रिकार्ड ख0 न0 247 किस्म गै0मु0 बाडा जो रामफूल शोभाग कमलेश घोतया पि0 कन्हैयालाल वगै0 हिस्सा 1/3 शेष बदस्तूर जमाबन्दी दर्ज है, जो मैन रोड (जरखोदा से फतेहगंज) पर होने के साथ ही खसरा सं0 253 के सामने स्थित है। उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी का मकान बना हुआ है। मकान में बने हुए रास्ते में होकर शोभाग मय ट्रेक्टर ट्रोली आता जाता है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट तथा जवाब अप्रार्थीगण में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार मौके पर प्रार्थी को आने जाने के लिए रास्ता दिया था जो तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मौके पर रास्ता निर्बाध चालू है। अतः मौके पर रास्ता होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। हमने वकील उभयपक्षकारान द्वारा बहस में दिये गये तर्कों को सुना तथा मनन किया। मौके पर पहले से ही रास्ता उपलब्ध होने एवं बहाल होने के कारण नया रास्ता दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner